कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अयोध्या।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश

पत्रांक 2532 /14–4, अयोध्या,दिनांक:जनवरी: 1–2– /2020

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी,
सरयू वृत्त अयोध्या।

विषयः– जनपद अयोध्या में इंण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा लखनऊ–फैजाबाद मार्ग एन0एच0–28 (न्यू एन0एच0–27) के किमी0 नं0–70 के (चैनेज सं0–69.562) के बॉयी पटरी पर ग्राम–अशरफपुर गंगरेला, गाटा सं0–1692 और 1693, तहसील–रूदौली, जिला–अयोध्या में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित 0.151236 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 24 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ– आप का पत्रांक–1984/14–10, अयोध्या, दिनांक–29.11.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो जनपद अयोध्या में इंण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा लखनऊ–फैजाबाद मार्ग एन0एच0–28 (न्यू एन0एच0–27) के किमी0 नं0–70 के (चैनेज सं0–69.562) के बॉयी पटरी पर ग्राम–अशरफपुर गंगरेला, गाटा सं0–1692 और 1693, तहसील–रूदौली, जिला–अयोध्या में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित 0.151236 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 24 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में है, इस कार्यालय के पत्रांक–1560/14–4, दिनांक–16.11.2019. एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या–8बी0/यू0पी0/06/93/2019/एफ0सी0/383, दिनांक–25.10.2019. सैद्धान्तिक स्वीकृति में दिये गये निर्देश के कम में मॉगी गयी धनराशि को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करते हुये बिन्दु संख्या–1 से 13 तक की अनुपालन/वचनबद्धता संलग्नकों सहित संलग्न कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्रयोक्ता अभिकरण की अनुपालन आख्या/वचनबद्धता मय संलग्नक सहित संलग्न कर बिन्दु 1 से 13 तक अनुपालन आख्या 04 प्रतियों में आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

आ0 लि0 कार्य0 क0
03/2/2020

भवदीय

(मनोज कुमार खरे)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग अयोध्या।

पत्रांक / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि–वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स) गोरखपुर मण्डल कार्यालय, इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित है कि, जब तक उक्त गैर वानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य कदापि न प्रारम्भ किया जाय।

(मनोज कुमार खरे)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग अयोध्या।

...ion ...o	Conditions	Status of complince
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	इंण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष मे अवनत वनभूमि पर (0. 151236 X 2= 0.302472 **ha.@** 1000) कुल 302 पौधों के रोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु संशोधित वनरोपण योजना समर्पित करते हुए आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित (कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।)	इंण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (0.151236×2=0.302472 है0) पर 302 पौधों के रोपण एवं 10 वर्षों के रख रखाव हेतु वर्तमान दरों के अनुसार आवश्यक धनराशि रू0–78,898.00 (Compensatory Afforestation Fund Management and Planting Authority) उ0प्र0 के खाते में जमा करा दी गयी है।
3	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02. 2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली मे जमा की जाएगी।)	इंण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0–5–3 / 2007–एफ0सी0, दिनांक–05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि उपरोक्तानुसार धनराशि रू0–1,21,443.00 मात्र **(Compensatory Afforestation Fund Management and Planting Authority)** उ0प्र0 के खाते में जमा करा दी गयी है।
	(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएग।	इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन ई–रसीद की छाया प्रति जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण अंकित है संलग्न है।

	(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि, यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि यदि इस अवधि में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु मॉग की गयी एन0पी0वी0 की धनराशि की दर में भविष्य में भारत सरकार द्वारा/सक्षम स्तर से बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान इंण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा किया जायेगा।
4	विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।	इंण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन हेतु सीमा स्तम्भ व इंडीकेटर पीलर की धनराशि का भुगतान इंण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक पीलर पर अक्षांश एवं देशान्तर भी दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ पर Forward तथा backward bearing लिखी जायेगी।
5	यदि आवश्यक हो, पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण--पत्र प्राप्त की जाएगी।	प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के प्रवेश व निकासी मार्ग हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नही है।
6	प्रस्तावित स्थल में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार परिवर्तन नहीं किया जाएगा।	इंण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित स्थल में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जायेगा।
7	आवागमन एवं परियोजना के लिए सामग्री ले जाने के लिए प्रस्तावित स्थल में अतिरिक्त नए मार्ग का निर्माण नहीं किया जाएगा।	इंण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि आवागमन एवं परियोजना के लिये सामाग्री ले जाने के लिये प्रस्तावित स्थल में अतिरिक्त नये मार्ग का निर्माण नही किया जायेगा।

	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की भूमि का उपयोग उपयुक्त प्रजाति के वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जाएगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर किया जाएगा।	इंण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि पेट्रोल पम्प के प्रवेश व निकासी मार्ग के बीच की भूमि का उपयोग उपयुक्त प्रजाति के वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जायेगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर किया जायेगा।
9	स्थापित पेट्रोल पम्प की चहारदिवारी से 1.5 मीटर की दूरी बनाये रखते हुए परिसर के चारों तरफ कम आच्छादन वाले वृक्षों का रोपण किया जाएगा जिसमें वृक्षो की अन्तर दूरी 1 से 1.5 मीटर रखी जाएगी।	इंण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि स्थापित पेट्रोल पम्प की चहारदीवारी से 1.5 मी0 की दूरी बनाये रखते हुये परिसर के चारो तरफ कम आच्छादन वाले वृक्षों का रोपण किया जायेगा, जिसमें वृक्षों की अन्तर दूरी 1 से 1.5 मी0 रखी जायेगी।
10	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	इंण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार द्वारा वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा निर्देशों का पालन करेगी।
11	पेट्रोल पम्प सामान्यतः रेस्ट एरिया काम्पलेक्श जिसमें सभी जन सुविधाएं यथा पार्किंग, शौचालय आदि उपलब्ध हो, का हिस्सा होना चाहिए। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऐसे भवनों के निर्माण की पूर्ण योजना तैयार की जाएगी ताकि सड़क किनारे वृक्षोरापण को न्यूनतम क्षति पहुंच सके।	इंण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि पेट्रोल पम्प के निर्माण की पूर्ण योजना तैयार कर सड़क किनारे वृक्षारोपण को बिना क्षति/न्यून्तम क्षति के पेट्रोल पम्प पर सामान्यतः रेस्ट एरिया काम्पलेक्श जिसमें सभी जन सुविधाएं यथा पार्किंग, शौचालयों आदि हो अंकित किया जायेगा।
12	इस सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना। प्रस्तुत करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, के उल्लंघन के सम्बन्ध में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे।	इंण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन करने हेतु वचनबद्धता दी गयी है तथा आवश्यक धनराशि जमा कर दी गयी है।

	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन ई–पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।
	CA Amount as per proposal	Rs-78,8,98.00
	CA Amount diposited	Rs-78,8,98.00
	difference in amount	Nill
	reason for difference	—
	NPV amount as per proposal	Rs-1,21,443.00
	NPV amount deposited	Rs-1,21,443.00
	difference in amount	Nil
	reason for difference	—
	Any other amount deposited -(complete detail be pro	Nil
	CAMPA Confirmation	

(मनोज कुमार खरे)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग,अयोध्या।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, अयोध्या ।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– **FP/UP/Others/41410/2019**)

विषय – जनपद अयोध्या में लखनऊ – फैज़ाबाद रोड एन.एच–28 (न्यू एन.एच–27), किमी0 नं0 70 के (चैनेज सं0– 69.562) के बायी पटरी पर, ग्राम – अशरफपुर गंगरेला, तहसील – रुदौली, जिला – अयोध्या, गाटा सं0 – 1692 और 1693 पर प्रस्तावित इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के प्रवेश व निकाशी मार्ग हेतु 0.151236 हे0 संरक्षित वन भूमि पर 24 वृक्षों के पातन के साथ गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु ।

सन्दर्भ – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का (सैद्धान्तिक स्वीकृति) पत्रांक संख्या– 8बी/यू0पी0/ 06/06/2019/एफ0सी0/175 दिनांक 25.10.2019।

कम संख्या	शर्तें	अनुपालन की स्थिति
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।	**शर्त संख्या 1** के के अनुपालन में **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0** वचनबद्ध है कि प्रस्तावित स्थल पर वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में अवनत वन भूमि पर (0.151236 x 2 = 0.302472 ha.) कुल 302 पौधों के रोपण एवं 10 वर्षो के रखरखाव हेतु संशोधित वन रोपण योजना समर्पित करते हुए आवश्यक धनराशि वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी ।	**शर्त संख्या 2** के अनुपालन में **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0,** द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वन भूमि (0.151236 x 2 = 0.302472 ha.) पर 302 पौधों के रोपण एवं 10 वर्षो के रखरखाव हेतु वर्तमान दरों के अनुसार आवश्यक धनराशि 78,898 रूपये कैम्पा नई दिल्ली में जमा करा दी गयी है।
3	**(क)** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि उपरोक्तानुसार धनराशि कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी ।	**शर्त संख्या 3 (क)** के अनुपालन में Online, forest clearance.nic.in पर e-payment portal के माध्यम से **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0,** द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02. 2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वतर्मान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि उपरोक्तानुसार धनराशि 1,21,443 रूपये मात्र कैम्पा नई दिल्ली में जमा करा दी गयी है।
	(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो)	**शर्त संख्या 3(ख)** के अनुपालन में जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण संलग्न है।

सैयद [illegible] Syed Tabish Ahad
[illegible] Retail Sales
[illegible] Office
[illegible] Corporation Ltd.

	प्रषित की जाए, तदोपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा ।	
	(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की धनराशि की दर में भविष्य मे भारत सरकार द्वारा/सक्षम स्तर से बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी ।	**शर्त संख्या 3(ग)** के अनुपालन में **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0** वचनबद्ध है कि यदि इस अवधि में संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु मॉग की गयी एन0पी0वी0 की धनराशि की दर में भविष्य मे भारत सरकार द्वारा/सक्षम स्तर से बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि का भुगतान **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0** द्वारा किया जायेगा।
4	विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पिछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।	**शर्त संख्या 4** के अनुपालन में **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0** वचनबद्ध है कि विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन हेतु सीमा स्तम्भ व इन्डीकेटर पिलर की धनराशि का भुगतान **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0** द्वारा किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पिछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखी जायेगी।
5	यदि आवशयक हो, पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावर्णीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त की जाएगी ।	**शर्त संख्या 5** के अनुपालन में **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0** वचनबद्ध है कि प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के प्रवेश व निकाशी मार्ग हेतु पर्यावर्णीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
6	प्रस्तावित स्थल में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।	**शर्त संख्या 6** के अनुपालन में **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0** वचनबद्ध है कि प्रस्तावित स्थल में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
7	आवागमन एवं परियोजना के लिए साम्रगी ले जाने के लिए प्रस्तावित स्थल में अतिरिक्त नए मार्ग का निर्माण नहीं किया जाएगा।	**शर्त संख्या 7** के अनुपालन में **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0** वचनबद्ध है कि आवागमन एवं परियोजना के लिए साम्रगी ले जाने के लिए प्रस्तावित स्थल में अतिरिक्त नए मार्ग का निर्माण नहीं किया जाएगा।
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेट्रोल पम्प के प्रवेश व निकाशी मार्ग के बीच की भूमि का उपयोग उपयुक्त प्रजाति के वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जाएगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊंची दीवाल बनाकर किया जाएगा।	**शर्त संख्या 8** के अनुपालन में **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0** वचनबद्ध है कि पेट्रोल पम्प के प्रवेश व निकाशी मार्ग के बीच की भूमि का उपयोग उपयुक्त प्रजाति के वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जाएगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊंची दीवाल बनाकर किया जाएगा।
9	स्थापित पेट्रोल पम्प की चहारदिवारी से 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखते हुए पूरे परिसर परिसर के चारों तरफ कम आच्छादन वाले वृक्षों का रोपण किया जाएगा जिसमें वृक्षों की अन्तर दूरी 1 से 1.5 मीटर रखी जाएगी।	**शर्त संख्या 9** के अनुपालन में **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0** वचनबद्ध है कि स्थापित पेट्रोल पम्प की चहारदिवारी से 1.5 मीटर की दूरी बनाये रखते हुए परिसर के चारों तरफ कम आच्छादन वाले वृक्षों का रोपण किया जाएगा जिसमें वृक्षों की अन्तर दूरी 1 से 1.5 मीटर रखी जाएगी।
10	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा	**शर्त संख्या 10** के अनुपालन में **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0** वचनबद्ध है कि प्रयोक्ता अभिकरण

सैयद ताबिश अहमद/Syed Tabish Ahad
वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)/Sr. Manager (Retail Sales)
गोरखपुर मंडल कार्यालय/Gorakhpur Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड/Indian Oil Corporation Ltd.
गोरखपुर/Gorakhpur

	निर्देशों का पालन करेगी।	एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा निर्देशों का पालन करेगी।
11	पेट्रोल पम्प पर सामान्यतः रेस्ट एरिया काम्लेक्स जिसमें सभी जन सुविधाएं यथा पार्किंग, शौचालयों आदि उपलब्ध हों, का हिस्सा होना चाहिए। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऐसे भवनों के निर्माण की पूर्णयोजना तैयार की जाएगी ताकि सड़क किनारे वृक्षारोपण को न्यूनतम क्षति पहुच सके।	**शर्त संख्या** 11 के अनुपालन में **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0** वचनबद्ध है कि पेट्रोल पम्प के निर्माण की पूर्णयोजना तैयार कर सड़क किनारे वृक्षारोपण को बिना क्षति/न्यूनतम क्षति के पेट्रोल पम्प पर सामान्यतः रेस्ट एरिया काम्लेक्स जिसमें सभी जन सुविधाएं यथा पार्किंग, शौचालयों आदि हो उपलब्ध कराया जाएगा।
12	इस सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लघंन के सम्बन्ध में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	**शर्त संख्या** 12 के अनुपालन में **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0** वचनबद्ध है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघंन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराया जाएगा।
13	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना ई0पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	**शर्त संख्या** 13 के अनुपालन में **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0** द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना ई0पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।

क्रम सं0	विवरण/मद	धनराशि (रू0में)	फण्ड ट्रांसफर का प्रकार	दिनांक	यू0टी0आर0 नं0
1	2	3	4	5	7
1	शर्त संख्या–2 के अनुपालन में 302 पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का रखरखाव/(सी0ए0)	78,898 रूपये	एन.ई.एफ.टी.	30.11.2019	SYNBR520191 13050633246
2	शर्त संख्या–3(क) के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 0151236 हे0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य (8.03 लाख प्रति हे0 की दर से)/(एन0पी0वी0)	1,21,443 रूपये			
	योग–	2,00,341 रूपये			

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
वरिष्ठ प्रबंधक रिटेल सेल्स
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0
डिविजनल कार्यालय गोरखपुर

11/30/2019

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 30-11-2019

Agency Name.	**IOCL GORAKHPUR DIVISIONAL OFFICE**
Application No.	**19941410117**
MoEF/SG File No.	**8B/UP/06/93/2019/FC**
Location.	**UTTAR PRADESH**
Address.	**Chandrakanta Bhawan New Buddh Nagar Colony, DeoriaGorakhpur**
Amount(In Rs)	**200341/-**

Amount in Words : Two Lakh Three Hundred and Forty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name:	**UTTAR PRADESH CAMPA**
IFSC Code:	**CORP0000371**
Pay to Account No.	**1509019941410117** **Valid only for this challan amount.**
Bank Name & Address:	**Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**
- **This challan is valid only for seven days.**

After making successful payment, User Agencies m
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

सिंडिकेट बैंक शाखा कल्याणपुर, लखनऊ

SYNBR52019113050633246

forestsclearance.nic.in/UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=OTHERS414102019117

सैयद साबिरा ...
वरिष्ठ प्रबन्धक ...
गोरखपुर ...
इंडियन ...
गोरखपुर ...

(5)

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ **Help**

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/Others/41410/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Others/41410/2019) Protected Forest Land Proposed to be diverted for Exit/Entry of proposed new IOCL Retail Outlet on Lucknow-Faizabad Road(NH-28) New NH-27, In Km.70(Ch.69,562), In Khasra No.1692&1693,Village:Asrafpur Gangrela,District:Ayodhya(Faizabad)	OTHERS414102019117	19941410117	25 Oct 2019	CA: 78898/- , Addl CA :0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA :0/- NPV: 121443/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 200341/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 29 Nov 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 30 Nov 2019 Transaction Date : 30 Nov 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/11112912481211KYCRU1Demand Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=OTHERS414102019117)
2	FP/UP/Others/33217/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Others/33217/2018) Protected Forest Land Proposed to be diverted for Exit/Entry Appraoch to IOCL Retail Outlet on Sohratgarh-Khunwa Border Road Near KM.7 Gata No.66 Village:Adsara, District:Siddharthnagar	OTHERS332172018868	19933217868	31 Aug 2018	CA: 68429/- , Addl CA :0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA :0/- NPV: 21955/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 90384/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 11 Sep 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 12 Sep 2018 Transaction Date : 12 Sep 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/911101211121689V4ESiddharthr Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=OTHERS332172018868)
3	FP/UP/Others/18204/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Others/18204/2016) Proposed Forest Land for Exit/Entry of IOCL Retail Outlet on Bhagalpur-Salempur Road(SH-1) District Deoria	OTHERS182042016874	1991820420168 74	07 Oct 2016	CA: 136675/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 33032.76/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 169707.76/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 05 Jan 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 05 Jan 2017 Transaction Date : 20 Jan 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1115123112139RY5TDemandLet Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=OTHERS182042016874)

सैयद ताबिश अहद/ Syed Tabish Ah
वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)/Sr. Manager (Re
गोरखपुर मंडल कार्यालय/Gorakhpur Divisional
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड/Indian Oil Corp
गोरखपुर/Gorakhpur

BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/) india.gov.in (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) myGov (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) MeitY

(HTTP://MEITY.GOV.IN/) (HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) (HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (https://parivesh.nic.in/TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (https://parivesh.nic.in/Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (https://parivesh.nic.in/CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (https://parivesh.nic.in/HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (https://parivesh.nic.in/Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (https://parivesh.nic.in/Disclaimer.aspx) | Contact Us (https://parivesh.nic.in/contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

(6)

<u>शर्त संख्या 1</u>

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

जनपद अयोध्या में लखनऊ – फैज़ाबाद रोड एन.एच–28 (न्यू एन.एच–27), किमी0 नं0 70 के (चैनेज सं0–69.562) के बायी पटरी पर, ग्राम – अशरफपुर गंगरेला, तहसील – रुदौली, जिला – अयोध्या, गाटा सं0 – 1692 और 1693 पर प्रस्तावित इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के प्रवेश व निकाशी मार्ग हेतु **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0** वचनबद्ध है कि प्रस्तावित स्थल पर वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

सैयद ताबिश अहद/ Syed Tabish Ahad

वरिषठ प्रबंधक रिटेल सेल्स

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0

डिविजनल कार्यालय गोरखपुर

(7)

<u>शर्त संख्या 3 (ग)</u>

<u>वचनबद्धता प्रमाण पत्र</u>

जनपद अयोध्या में लखनऊ – फैज़ाबाद रोड एन.एच–28 (न्यू एन.एच–27), किमी0 नं0 70 के (चैनेज सं0–69.562) के बायी पटरी पर, ग्राम – अशरफपुर गंगरेला, तहसील – रुदौली, जिला – अयोध्या, गाटा सं0 – 1692 और 1693 पर प्रस्तावित इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के प्रवेश व निकाशी मार्ग हेतु **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0,** वचनबद्ध है कि यदि इस अवधि में संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु मॉग की गयी एन0पी0वी0 की धनराशि की दर में भविष्य मे भारत सरकार द्वारा/सक्षम स्तर से बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि का भुगतान **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0** द्वारा किया जायेगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

सैयद ताबिश अहद/Syed Tabish ...
वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)/Sr. Manager ...
वरिष्ठ प्रबंधक रिटेल सेल्स
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0
गोरखपुर/Gorakhpur
डिविजनल कार्यालय गोरखपुर

(8)

<u>शर्त संख्या 4</u>

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

जनपद अयोध्या में लखनऊ – फैज़ाबाद रोड एन.एच–28 (न्यू एन.एच–27), किमी0 नं0 70 के (चैनेज सं0–69.562) के बायी पटरी पर, ग्राम – अशरफपुर गंगरेला, तहसील – रुदौली, जिला – अयोध्या, गाटा सं0 – 1692 और 1693 पर प्रस्तावित इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के प्रवेश व निकाशी मार्ग हेतु **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0**, वचनबद्ध है कि विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन हेतु सीमा स्तम्भ व इन्डीकेटर पिलर की धनराशि का भुगतान **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0** द्वारा किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पिछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखी जायेगी।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

सैयद ताबिश अहमद Syed Tabish Ahmad

वरिष्ठ प्रबंधक रिटेल सेल्स
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0
डिविजनल कार्यालय गोरखपुर

गोरखपुर Gorakhpur

शर्त संख्या 5

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

जनपद अयोध्या में लखनऊ – फैज़ाबाद रोड एन.एच–28 (न्यू एन.एच–27), किमी0 नं0 70 के (चैनेज सं0–69.562) के बायी पटरी पर, ग्राम – अशरफपुर गंगरेला, तहसील – रुदौली, जिला – अयोध्या, गाटा सं0 – 1692 और 1693 पर प्रस्तावित इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के प्रवेश व निकाशी मार्ग हेतु **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0,** वचनबद्ध है कि प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के प्रवेश व निकाशी मार्ग हेतु पर्यावर्णीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

सैयद ताविश अहद/ Syed Tabish ...
वरिष्ठ प्रबंधक रिटेल सेल्स
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0
डिविज़नल कार्यालय गोरखपुर

शर्त संख्या 6

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

जनपद अयोध्या में लखनऊ – फैज़ाबाद रोड एन.एच–28 (न्यू एन.एच–27), किमी0 नं0 70 के (चैनेज सं0– 69.562) के बायी पटरी पर, ग्राम – अशरफपुर गंगरेला, तहसील – रुदौली, जिला – अयोध्या, गाटा सं0 – 1692 और 1693 पर प्रस्तावित इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के प्रवेश व निकाशी मार्ग हेतु **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0,** वचनबद्ध है कि प्रस्तावित स्थल में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

सैयद ताबिश अहमद / Syed Tabish Ahmad

वरिषठ प्रबंधक रिटेल सेल्स
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0
डिविजनल कार्यालय गोरखपुर

(11)

शर्त संख्या 7

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

जनपद अयोध्या में लखनऊ -- फैज़ाबाद रोड एन.एच–28 (न्यू एन.एच–27), किमी0 नं0 70 के (चैनेज सं0– 69.562) के बायी पटरी पर, ग्राम – अशरफपुर गंगरेला, तहसील – रुदौली, जिला – अयोध्या, गाटा सं0 – 1692 और 1693 पर प्रस्तावित इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के प्रवेश व निकाशी मार्ग हेतु **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0**, वचनबद्ध है कि आवागमन एवं परियोजना के लिए साम्रगी ले जाने के लिए प्रस्तावित स्थल में अतिरिक्त नए मार्ग का निर्माण नहीं किया जाएगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

वरिष्ठ प्रबंधक रिटेल सेल्स
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0
डिविजनल कार्यालय गोरखपुर

(12)

शर्त संख्या 8

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

जनपद अयोध्या में लखनऊ – फैज़ाबाद रोड एन.एच–28 (न्यू एन.एच–27), किमी0 नं0 70 के (चैनेज सं0–69.562) के बायी पटरी पर, ग्राम – अशरफपुर गंगरेला, तहसील – रुदौली, जिला – अयोध्या, गाटा सं0 – 1692 और 1693 पर प्रस्तावित इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के प्रवेश व निकाशी मार्ग हेतु **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0**, वचनबद्ध है कि पेट्रोल पम्प के प्रवेश व निकाशी मार्ग के बीच की भूमि का उपयोग उपयुक्त प्रजाति के वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जाएगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊंची दीवाल बनाकर किया जाएगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

वरिषठ प्रबंधक रिटेल सेल्स
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0
डिविजनल कार्यालय गोरखपुर

(13)

शर्त संख्या 9

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

जनपद अयोध्या में लखनऊ – फैज़ाबाद रोड एन.एच–28 (न्यू एन.एच–27), किमी0 नं0 70 के (चैनेज सं0–69.562) के बायी पटरी पर, ग्राम – अशरफपुर गंगरेला, तहसील – रुदौली, जिला – अयोध्या, गाटा सं0 – 1692 और 1693 पर प्रस्तावित इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के प्रवेश व निकाशी मार्ग हेतु **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0**, वचनबद्ध है कि स्थापित पेट्रोल पम्प की चहारदिवारी से 1.5 मीटर की दूरी बनाये रखते हुए परिसर के चारों तरफ कम आच्छादन वाले वृक्षों का रोपण किया जाएगा जिसमें वृक्षों की अन्तर दूरी 1 से 1.5 मीटर रखी जाएगी।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

सैयद ताबिश अहमद Syed Tabish Ahad

वरिषठ प्रबंधक (रिटेल) सेल्स
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0
डिविजनल कार्यालय गोरखपुर

(14)

<u>शर्त संख्या 10</u>

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

जनपद अयोध्या में लखनऊ – फैज़ाबाद रोड एन.एच–28 (न्यू एन.एच–27), किमी0 नं0 70 के (चैनेज सं0–69.562) के बायी पटरी पर, ग्राम – अशरफपुर गंगरेला, तहसील – रुदौली, जिला – अयोध्या, गाटा सं0 – 1692 और 1693 पर प्रस्तावित इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के प्रवेश व निकाशी मार्ग हेतु **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0**, वचनबद्ध है कि प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा निर्देशों का पालन करेगी।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

सैयद ताबिश अहमद/Syed Tabish Ahmad
वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)/Sr. Manager (Retail Sales)

वरिष्ठ प्रबंधक रिटेल सेल्स
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0
डिविजनल कार्यालय गोरखपुर

(15)

शर्त संख्या 11

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

जनपद अयोध्या में लखनऊ – फैज़ाबाद रोड एन.एच–28 (न्यू एन.एच–27), किमी0 नं0 70 के (चैनेज सं0– 69.562) के बायी पटरी पर, ग्राम – अशरफपुर गंगरेला, तहसील – रुदौली, जिला – अयोध्या, गाटा सं0 – 1692 और 1693 पर प्रस्तावित इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के प्रवेश व निकाशी मार्ग हेतु **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0**, वचनबद्ध है कि पेट्रोल पम्प के निर्माण की पूर्णयोजना तैयार कर सड़क किनारे वृक्षारोपण को बिना क्षति/न्यूनतम क्षति के पेट्रोल पम्प पर सामान्यतः रेस्ट एरिया काम्लेक्स जिसमें सभी जन सुविधाएं यथा पार्किंग, शौचालयों आदि हो उपलब्ध कराया जाएगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

सैयद ताबिश अहमद/Syed Tabish Ahmad

वरिष्ठ प्रबंधक रिटेल सेल्स
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0
डिविजनल कार्यालय गोरखपुर

(16)

शर्त संख्या 12

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

जनपद अयोध्या में लखनऊ – फैज़ाबाद रोड एन.एच–28 (न्यू एन.एच–27), किमी0 नं0 70 के (चैनेज सं0–69.562) के बायी पटरी पर, ग्राम – अशरफपुर गंगरेला, तहसील – रुदौली, जिला – अयोध्या, गाटा सं0 – 1692 और 1693 पर प्रस्तावित इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के प्रवेश व निकाशी मार्ग हेतु **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0**, वचनबद्ध है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघंन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराया जाएगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

सैयद ताबिश अहद/Syed Tabish Ahad

वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)/Sr. Manager (Retail Sales)

वरिषठ प्रबधक रिटेल सेल्स

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0

डिविजनल कार्यालय गोरखपुर

(17)

<u>शर्त संख्या 13</u>

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

जनपद अयोध्या में लखनऊ – फैज़ाबाद रोड एन.एच–28 (न्यू एन.एच–27), किमी0 नं0 70 के (चैनेज सं0–69.562) के बायी पटरी पर, ग्राम – अशरफपुर गंगरेला, तहसील – रुदौली, जिला – अयोध्या, गाटा सं0 – 1692 और 1693 पर प्रस्तावित इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के प्रवेश व निकाशी मार्ग हेतु **इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0,** द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना ई0पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

वरिषठ प्रबंधक रिटेल सेल्स
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0
डिविजनल कार्यालय गोरखपुर

शर्त संख्या–12

सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों की स्थलीय निरीक्षण के पश्चात सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 गोरखपुर द्वारा जनपद अयोध्या के अन्तर्गत प्रस्तावित लखनऊ–फैजाबाद मार्ग एन0एच0–28 (न्यू0एन0एच0–27) के किमी0 नं0–70 के (चैनेज सं0– 69.562) के बांयी पटरी पर ग्राम–अशरफपुर गंगरेला, गाटा सं0 1692 और 1693, तहसील–रूदौली जिला–अयोध्या में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 के प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग हेतु प्रभावित 0.151236 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं उसमे अवस्थित 24 वृक्षो का वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के सुसंगत प्राविधानो के अन्तर्गत निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृत में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के कम में दिनांक 13.04.2020 को क्षेत्रीय वन अधिकारी, रूदौली रेंज द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के अन्तर्गत कोई उल्लंघन नही किया गया है। वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृत में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शत प्रतिशत अनुपालन कराया जायेगा।

(मनोज कुमार खरे)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अयोध्या।